परिपत्र संख्या-विधि-2(1)-आयातित टिम्बर पर प्रवेश कर-123/(12-13)/ 308/ 1213017 / वाणिज्य कर।

प्रेषक,

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक :: लखनऊ :: मई 23 ,2012

विषय : **दिनांक 13-3-2006 से 31-5-2009 तक की अवधि में व्यापारियों द्वारा भारत के बाहर से आयातित चन्दन की लकड़ी पर देय प्रवेश कर एवं उस पर देय ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-क0नि0-2-384/ग्यारह-2-2012-9(81)/91 टीसी (डी), दिनांक 19-05-2012 **(प्रति संलग्न)** द्वारा अवगत कराया गया है कि -

"दिनांक 13-03-2006 से 31-05-2009 तक की अवधि में व्यापारियों द्वारा भारत के बाहर से आयातित चन्दन की लकड़ी पर देय तथा न जमा किया गया प्रवेश कर एवं उस पर नियमानुसार देय ब्याज को माफ कर दिया जाये। माफी का आदेश पारित करने का अधिकार सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को प्रदान किया जाता है।"

कृपया शासन के उक्त निर्देशों का अनुपालन अपने अधीनस्थ कर निर्धारण अधिकारियों से कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(एच0एन0राव)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

<u>पृ0प0स0एंव दिनॉक उक्त</u>

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन संस्थागत वित्त कर एंव निबन्धन अनुभाग-2 सचिवालय लखनऊ को उनके पत्र संख्या-क0नि0-2-384/ग्यारह-2-2012-9(81)/91 टीसी (डी), दिनांक 19-5-2012 के संदर्भ में।

2- समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर मुख्यालय को उक्त पत्र की एक प्रति सहित प्रेषित।

3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने सम्भाग के व्यापारिक संगठनों/अधिवक्ता संघों को शासन के उक्त निर्णय से अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>**संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।**</u>

(एच0एन0राव)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः–क0नि0–2– 384 /ग्यारह–2–2012–9(81)/91टीसी(डी)

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 लखनऊःःदिनांकःः 19 मई, 2012

विषयः– दिनांक 13.3.2006 से 31.05.2009 तक की अवधि में व्यापारियों द्वारा भारत के बाहर से आयातित चन्दन की लकड़ी पर देय प्रवेश कर एवं उस पर देय ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या–570/ग्यारह–2–2006–9(81)/91टी0सी0डी0 दिनॉक 13 मार्च, 2006 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनॉक 13–03–2006 से भारत के बाहर से आयातित चन्दन की लकड़ी पर प्रवेश कर की वसूली अग्रेतर आदेश तक स्थगित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2. शासन की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1045/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–30–07–आदेश–(46)–2009, दिनॉक 29 मई 2009 द्वारा दिनॉक 01 जून 2009 से भारत के बाहर से आयातित सभी प्रकार के और सभी वृक्षों के काष्ठ और इमारती लकड़ी पर प्रवेश कर समाप्त कर दिया गया। आपके पत्र संख्या–विधि–2–(1)–ई–8–आयातित लकड़ी पर प्रवेशकर–(2006–2007)/1442/वाणिज्यकर दिनांक 09.12.2009 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनॉक 13–03–2006 से दिनॉक 31–05–2009 तक भारत के बाहर से आयातित चन्दन की लकड़ी पर जब कर की वसूली स्थगित थी तो व्यापारियों द्वारा इसको उपभोक्ता से वसूला नहीं गया है।

3. उपर्युक्त के संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि दिनॉक 13–03–2006 से 31–05–2009 तक की अवधि में व्यापारियों द्वारा भारत के बाहर से आयातित चन्दन की लकड़ी पर देय तथा न जमा किया गया प्रवेश कर एवं उस पर नियमानुसार देय ब्याज को माफ कर दिया जाय। माफी का आदेश पारित करने का अधिकार सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को प्रदान किया जाता है।

4. कृपया तदनुसार अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

19/5/12

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।